

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 853/एल-6/6/वित्त/ब-4/2009

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2009

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
----- विभाग
मंत्रालय, रायपुर ।

विषय:-वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा के संबंध में ।

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में **दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर, 2009** को मंत्रालय स्थित कक्ष **क्रमांक- 360** में आयोजित की गयी है । कृपया संलग्न समय सारिणी अनुसार बैठक में उपस्थित होने हेतु संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी तथा विभाग के वित्त अधिकारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

2. समीक्षा बैठक हेतु वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही के आय-व्यय की जानकारी संलग्न प्रपत्रों अनुसार वित्त विभाग को दिनांक 27.08.2009 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें । यह प्रपत्र इस विभाग की वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in> से डाउनलोड कर भी प्राप्त किये जा सकते हैं । जिन विभागों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है वह यह जानकारी सीधे इंटरनेट के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित कर सकते हैं । इस हेतु वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in/fmis.htm> में दिये गये साफ्टवेयर में प्रविष्टि की जावे । प्रविष्टि में समस्या आने पर दूरभाष क्रमांक 4080534 से संपर्क किया जा सकता है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।




(सतीश पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ।
2. निज सहायक, सचिव, वित्त विभाग ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी ।
4. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी वित्त विभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(अल्पना घोष)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही की आय-व्यय की चर्चा हेतु कार्यक्रम (कक्ष क्र.360)

क्र.	प्रशासकीय विभाग	क्र.	क्र.	विभागाध्यक्ष	निर्धारित तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	7
1	श्रम, खेल एवं युवक कल्याण	1	1	आयुक्त, श्रम विभाग	07.09.2009, पूर्वान्ह 10.30 से 11.00 बजे तक
		2	2	संचालक, राज्य कर्मचारी बीमा सेवाएं	
		3	3	संचालक, खेल एवं युवक कल्याण	
2	महिला बाल विकास विभाग	4	1	आयुक्त, महिला बाल विकास विभाग	07.09.2009, पूर्वान्ह 11.00 से 11.30 बजे तक
3	गृह, जेल, परिवहन, विमानन	5	1	महानिदेशक, पुलिस	07.09.2009, पूर्वान्ह 11.30 से 12.15 बजे तक
		6	2	महानिदेशक, होमगार्ड	
		7	3	संचालक, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड	
		8	4	संचालक, लोक अभियोजन	
		9	5	अधीक्षक, स्टेट गैरेज	
		10	6	आयुक्त, परिवहन	
		11	7	महानिदेशक, जेल	
		12	8	संचालक, विमानन	
4	वित्त वाणिज्यिक कर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग	13	1	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	07.09.2009, अपरान्ह 12.15 से 12.45 बजे तक
		14	2	आयुक्त, कोष एवं लेखा, पेशन, जीवन बीमा एवं अल्प बचत लाटरीज	
		15	3	संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	
		16	4	महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं पंजीयन	
		17	5	आयुक्त, आबकारी	
		18	6	सदस्य सचिव, राज्य योजना मंडल	
		19	7	आयुक्त, संस्थागत वित्त	
		20	8	संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	

		21	9	संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	
5	संस्कृति एवं पर्यटन विभाग	22	1	संचालक, पर्यटन	07.09.2009, अपरान्ह 12.45 से 1.00 बजे तक
		23	2	संचालक, राजभाषा एवं संस्कृति, पुरातत्व एवं अभिलेखागार	
6	समाज कल्याण विभाग	24	1	संचालक, समाज कल्याण	07.09.2009, अपरान्ह 3.00 से 3.15 बजे तक
7	आवास एवं पर्यावरण विभाग	25	1	सचिव, आवास एवं पर्यावरण	07.09.2009, अपरान्ह 3.15 से 3.30 बजे तक
8	नगरीय प्रशासन और विकास विभाग	26	1	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं नगर निवेश	07.09.2009, अपरान्ह 3.30 से 4.00 बजे तक
		27	2	प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन	
9	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	28	1	आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	07.09.2009, अपरान्ह 4.00 से 4.30 बजे तक
		29	2	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा	
10	लोक निर्माण विभाग	30	1	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग	07.09.2009, अपरान्ह 4.30 से 5.00 बजे तक
11	जल संसाधन विभाग	31	1	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग	07.09.2009, अपरान्ह 5.00 से 5.30 बजे तक
		32	2	सचिव, आयाकट	
12	वन विभाग	33	1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन	07.09.2009, अपरान्ह 5.30 से 6.00 बजे तक
13	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	34	1	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	08.09.2009, पूर्वान्ह 11.00 से 11.30 बजे तक
14	विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	35	1	सचिव, विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	08.09.2009, पूर्वान्ह 11.30 से 12.00 बजे तक
		36	2	रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय	
		37	3	महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़	
		38	4	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	

		39	5	सचिव, विधान सभा	
15	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	40	1	संचालक, स्वास्थ्य संवाएं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,	08.09.2009, अपरान्ह 12.00 से 12.30 बजे तक
		41	2	संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	
		42	3	संचालक, स्वास्थ्य एवं औषधि नियंत्रण	
		43	4	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	
16	अनु. जाति/अनु. जनजाति/पि. वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग	44	1	आयुक्त, अनु. जाति/अनु. जनजाति/पि. वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग	08.09.2009, अपरान्ह 12.30 से 12.45 बजे तक
17	जनसंपर्क विभाग	45	1	संचालक, जनसंपर्क	08.09.2009, अपरान्ह 12.45 से 1.00 बजे तक
18	उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, स्कूल शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	46	1	संचालक, उच्च शिक्षा	08.09.2009, अपरान्ह 1.00 से 1.30 बजे तक
		47	2	संचालक, तकनीकी शिक्षा	
		48	3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	
		49	4	संचालक, जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार	
		50	5	संचालक, एन. सी. सी.	
		51	6	आयुक्त, लोक शिक्षण	
		52	7	छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशि. परिषद	
19	ऊर्जा विभाग	53	1	मुख्य अभियंता, विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत निरीक्षक	08.09.2009, अपरान्ह 1.30 से 1.45 बजे तक
20	खनिज विभाग	54	1	संचालक, खनिज एवं भौमिकी	08.09.2009, अपरान्ह 1.45 से 2.00 बजे तक
21	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	55	1	संचालक, उद्योग	08.09.2009, अपरान्ह 3.00 से 3.15 बजे तक
		56	2	रजिस्ट्रार, फर्मस एवं सोसायटी	
22	राजस्व, राहत, पुर्नवास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	57	1	सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	08.09.2009, अपरान्ह 3.15 से 3.45 बजे

		58	2	आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त	तक
		59	3	आयुक्त, राहत	
		60	4	आयुक्त, पुर्नवास विभाग	
		61	5	नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री	
23	सामान्य प्रशासन विभाग	62	1	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	08.09.2009, अपरान्ह 3.45 से 4.15 बजे तक
		63	2	राज्यपाल के सचिव	
		64	3	सचिव, लोक सेवा आयोग	
		65	4	महानिदेशक,राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो	
		66	5	सचिव, मानव अधिकार आयोग	
		67	6	मुख्य तकनीकी परीक्षक	
		68	7	आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन	
		69	8	लोक आयोग	
		70	9	प्रशासन अकादमी	
		71	10	निर्वाचन	
24	ग्रामोद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग	72	1	संचालक, हाथकरघा	08.09.2009, अपरान्ह 4.15 से 4.30 बजे तक
		73	2	संचालक, रेशम	
25	कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग	74	1	संचालक, कृषि, उद्यानिकी, कृषि यांत्रिकी	08.09.2009, अपरान्ह 4.30 से 5.00 बजे तक
		75	2	संचालक, पशुपालन	
		76	3	संचालक, मत्स्य पालन	
26	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	77	1	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	08.09.2009, अपरान्ह 5.00 से 5.15 बजे तक
		78	2	संचालक, नापतौल	
27	सहकारिता विभाग	79	1	आयुक्त, सहकारिता	08.09.2009, अपरान्ह 5.15 से 5.30 बजे तक